न्यायालय : अपर सेशन न्यायाधीश क्रम.1, अलवर (राज.)
पीठासीन अधिकारी : धीरज शर्मा, आर.जे.एस.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)
फौजदारी अपील संख्या : 38/2020, CIS No- 130/2020

1. विजेन्द्र पुत्र शिवराज उम्र 28 साल निवासी खुटेटा कला पुलिस थाना एम आई ए जिला अलवर (राज.)

2. शिवराज पुत्र भगवान सहाय उम्र 55 साल निवासी खुटेटा कला पुलिस थाना एम आई ए जिला अलवर (राज.)

—अपीलार्थी/अभियुक्तगण

—: बनाम :—

राजस्थान राज्य जर्ये अपर लोक अभियोजक **——प्रत्यर्थी/परिवादी**

'' फौजदारी अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 07.09.2020 जो कि सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामगढ जिला अलवर द्वारा फौज.मु.नं. 1495/11 सरकार/सद्दीक वगै. में पारित किया गया''

उपस्थित :—
1. श्री चन्द्रभान शर्मा, अपीलार्थी/अभियुक्तगण
2. विद्वान अपर लोक अभियोजक, श्री नवनीत तिवाडी, वास्ते प्रत्यर्थी

—: निर्णय :— दिनांकः 09.06.2026

01. अपीलार्थी/अभियुक्तगण विजेन्द्र एवं शिवराज की ओर से प्रस्तुत अपील विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 07.09.2020 को चुनौती देते हुए सर्वप्रथम श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, महोदय, अलवर के समक्ष प्रस्तुत की गई है, वहॉ से विधिवत निस्तारण हेतु अंतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई है।

नोटः— सुविधा की दृष्टि से निर्णय में आगे अपीलार्थी को ''अभियुक्त'' एवं प्रत्यर्थी को ''राज्य'' से सम्बोधित किया जा रहा है।

02. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि परिवादी महेन्द्र सिंह एस आई ने एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि वह मय मुलाजमान मय प्राईवेट वाहन गश्त करते हुंए समय 4.45 पीएम पर चौकी अलावलपुर के सामने अवैध वाहनों की चैकिंग कर रहा था तो नौगांवा की तरफ से एक टैम्पों लॉडिंग बिना नम्बरी आता हुआ दिखाई दिया, जिसके

ऊपर नीले रंग का पर्दा लगा हुआ था, जिसको एस आई ने हमराही मुलाजमानों की इमदाद से टैम्पों को रूकवाया व चैक किया तो टैम्पों में दो गाय की बछिया भरी हुई थी, जिनको देखा गया तो कोई चोट नहीं थी। टैम्पों में एक चालक व दो व्यापारी मिले, जिनका नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम सद्दीक खां पुत्र श्री फज्जर खां, दूसरे ने अपना नाम जाफीर पुत्र धुपु खां व चालक ने अपना नाम विजेन्द्र पुत्र शिवराज होना बताया। व्यापारियों से पूछा तो बताया कि उक्त दोनों गायों की बछिया हम हरियाणा में गोकशी के लिए टैम्पों में ले जा रहे थे। उक्त लोगों से गायों की बछिया को ले जाने बाबत परमिशन आदि पूछा तो नहीं होना बताया। उक्त तीनों शख्सों का यह कृत्य धारा 5, 8 आर बी ए एक्ट की तारीफ में आना पाये जाने पर दोनों गायों की बछियों को वजह सबूत हेतु जरिये फर्द जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया व उक्त शख्सों को जरिये फर्द गिरफतार कियागया। जप्तशुदा टैम्पों मय दो गाय व गिरफतारशुदा मुल्जिमान को थाने लेकर आये.....आदि–आदि।

03. उक्त रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 428/2011 अंतर्गत धारा 5,8 राजस्थान गोवंशीय पशु वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन अधिनियम में पुलिस थाना रामगढ, अलवर में पंजीबद्ध होकर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध जुर्म धारा 5, 6 एवं 8 राजस्थान गोवंशीय पशु वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन अधिनियम के अपराध में आरोप पत्र पेश किया गया। जिस पर अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त धाराओं के अन्तर्गत अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण फौजदारी दर्ज रजिस्टर किया गया।

04. विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त विजेन्द्र को धारा 5/8 व एवं अभियुक्त शिवराज को धारा 6 राजस्थान गोवंशीय पशु वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन अधिनियम के तहत आरोप विरचित कर सुनाये गये, तो अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

05. अभियोजन की ओर से अपने मामले के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में गवाह पी.ड. 1 हीरालाल, पी.ड. 2 भरत सिंह, पी.उ. 3 रविन्द्र सिंह, पी.

ड. 4 महेन्द्र सिंह को पेश कर परीक्षित कराया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श पी–1 लगायत प्रदर्श पी 14 को प्रदर्शित करवाया गया।

06. अभियोजन पक्ष की अनुकूल साक्ष्य के प्रकाश में अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत किया गया तो अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताया और साक्ष्य प्रतिरक्षा पेश करना नहीं चाहा एवं कथन किया कि वह निर्दोष है, उन्हें झूंठा फंसाया गया है, उन्हें दोषमुक्त किया जावे।

07. बहस अंतिम उभयपक्ष की सुनी गई। विचारण न्यायालय द्वारा आलौच्य निर्णय दिनांक 07.09.2020 पारित कर, अपीलार्थी–अभियुक्त विजेन्द्र को धारा 5/8 राजस्थान गोवंशीय पशु वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन अधिनियम के अंतर्गत अपराध के आरोप में एक वर्ष का कठोर कारावास, 2000 रूपये अर्थदण्ड एवं अदम अदायगी अर्थदण्ड एक माह का साधारण कारावास से दंडित किया गया एवं अभियुक्त शिवराज को धारा 6/8 राजस्थान गोवंशीय पशु वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन अधिनियम के अंतर्गत अपराध के आरोप के लिए दोषसिद्ध घोषित किया जाकर उक्त दोषसिद्धि में एक वर्ष के कठोर कारावास और दो हजार रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है तथा अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास अतिरिक्त भुगतेगा।

08. अपीलार्थी/अभियुक्तगण की ओर से उक्त दोषसिद्धी एवं दण्डादेश के निर्णय से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

09. अपील के संबंध में अधिवक्ता पक्षकारान की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी अभियुक्तगण ने कथन किया है कि गवाहान के बयानों में परस्पर भारी विरोधाभास है, अपीलार्थीगण के खिलाफ पूर्व की कोई दोषसिद्धी की साक्ष्य भी मौजूद नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर गौर नहीं कर, आलौच्य निर्णय विधि विरूद्ध तरीके से पारित किया है। अंत में अपील स्वीकार कर, उन्हें आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 5, 6 एवं 8 राजस्थान गोवंशीय पशु वध

का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन अधिनियम मे दी गई दोषसिद्वी में दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

10. प्रत्युत्तर में विद्वान अपर लोक अभियोजक ने निवेदन किया है कि विचारण न्यायालय द्वारा आलौच्य दोषसिद्धी का निर्णय एवं दण्डादेश विधि अनुसार पारित किया है, जिसमें कोई अनियमितता व विधिक त्रुटि नहीं है, इसलिए अपील खारिज की जावे।

11. इस न्यायालय को अपील के निस्तारण हेतु सर्वप्रथम यह देखना है कि, **"विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य दोषसिद्धी का निर्णय व दण्डादेश विधि के अनुरूप पारित किया गया है अथवा नहीं?**

12. हस्तगत प्रकरण में अभियुक्तगण को धारा 5, 6 एवं धारा 8 राजस्थान गोवंशीय पशु वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन अधिनियम में दोषसिद्व/दण्डादेश से दंडित किया गया है, जिस हद तक प्रकरण का विचारण किया जा रहा है।

13. विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात न्यायालय का मत है कि प्रकरण में गवाह पी.ड. 4 महेन्द्र स्वयं परिवादी होकर प्रकरण का स्टार साक्षी है, उक्त गवाह अपने मुख्य परीक्षण में तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 13 में कहे कथनों की पुष्टि करते हुए यह उल्लेख करता है कि दौराने चैकिंग नौगांवा की ओर से एक लोडिंग टैम्पू बिना नम्बरी आता हुआ दिखाई दिया, जिसके ऊपर नीला तिरपाल लगा हुआ था, जिसको मय जाप्ता रूकवाया गया व चैक किया तो उसमें दो गायों की बछिया भरी हुई थी, तथा एक चालक व दो व्यक्ति टैम्पू में बैठे हुए थे, जिनका नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम सद्दीक खां, दूसर ने जाकिर खां होना बताया। टैम्पू चालक ने अपना नाम विजेनद्र गोस्वमी होना बताया। उक्त गायों के बारे में पूछा तो राजस्थान से हरियाणा के लिए गोकशी के लिए ले जाना बताया। उक्त व्यक्तियों से गोकशी के लिए टैम्पे में भरकर ले जाने बाबत लाईसेन्स पूछा तो नहीं होना बताया। जिसकी कार्यवाही की तहरीर प्रदर्श पी 13, चाक एफ आई आरप्रदर्श पी 14, फर्द जप्ती लोडिंग टैम्पू मय दो गाय बछिया प्रदर्श पी 9, फर्द गिरफतारी मुल्जिम सद्दीक प्रदर्श पी 10, मुल्जिम जाकर प्रदर्श पी 11, मुल्जिम विजेन्द्र प्रदर्श पी 12, नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी 2, दो

गायों की बछिया की सुपुर्दगी गौशाला प्रदर्श पी 5 है, जिन सभी दस्तावेजात पर उसके हस्ताक्षर हैं।

14. इसी प्रकार प्रकरण के अन्य चश्मदीद एवं गश्ती दल के साक्षीगण गवाह पी.ड. 2 भरत सिंह एवं गवाह पी.ड. 3 रविन्द्र सिंह ने भी अपने मुख्य परीक्षण में तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 13 के अनुरूप कथन करते हुए तहरीरी कर्ता गवाह पी.ड. 4 महेन्द्र सिंह के तथ्यों की हूबहू पुष्टि करते हुए तहरीरी रिपार्ट, नक्शा मौका, फर्द गिरफतारी अभियुक्तगण एवं फर्द जब्ती वाहन मय बछिया को भी प्रमाणित किया है।

15. गवाह पी.ड. 1 हीरालाल, प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी होकर स्टार विटनेस है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किये हैं कि दौराने अनुसंधान मुल्जिम शिवराज को जरिये फर्द प्रदर्श पी 1 गिरफतार किया, घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 2 बनाया जाना, गवाहनके बयन उनके कथनानुसार लेखबद्व किया जाना, टैम्पू लोडिंग बिना नम्बरी के कागजात जरिये फर्द प्रदर्श पी 3 जप्त किया जाना, जप्तशुदा दो गाय की बछिया को तहसीलदार, रामगढ के आदेश प्रदर्श पी 4 पर सुधासागर गौशाला में जमा कराये जाना, जिसकी रसीद प्रदर्श पी 5 होना कथन करते हुए आगे यह भी कथन किये हैं कि बाद तफतीश मुल्जिम सद्दीक खां, शिवराज, जाकिर एवं विजेन्द्र के विरूद्व धारा 5, 8 आरबीए एक्ट सपठित धारा 6 का अपराध पाये जाने पर पत्रावली एसएचओ को सुपुर्द किये जाने के स्पष्ट कथन किये हैं।

16. इस प्रकार अभियोजन की ओर से परीक्षित उपरोक्त अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य का समग्र रूप से विवेचन किया जाये तो गवाह पी.ड. 4 महेन्द्र सिंह प्रकरण का परिवादी होकर गश्ती दल का अहम गवाह है एवं गवाह पी.ड. 2भरत सिंह एवं पी.उ. 3 रविन्द्र सिंह गश्ती दल के सदस्य रहते हुए चक्षुदर्शी साक्षी रहे हैं। जिन सभी गवाहन ने अपने बयानों में अभियुक्तगण के विरूद्व आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 5/8, 6 आर बी एक्ट में उपरोक्त अपराध को प्रमाणित करते हुए यह स्पष्ट कथन किये हैं कि दौराने गश्त/नाकाबन्दी अभियुक्तगण द्वारा अपने अपने टैम्पों बिना नम्बरी में गाय की दो बछिया को वध के प्रयोजनार्थ बिना वैध अनुज्ञा/परमिट के गौकशी हेतु ले जाया जा रहा था। जिन तथ्यों की

पुष्टि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रदर्शित दस्तावेजी साक्ष्य से भी बखूबी होती है।

17. इस प्रकार परिवादी व अभियोजन की ओर से प्रस्तुत मौके के प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण एवं फर्द गिरफतारी, फर्द जप्ती के साक्षीगण के कथन परस्पर एक–दूसरे के कथनों की सम्पुष्टि करते हुए तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 13 की स्पष्ट रूप से ताईद करते हैं। बचाव पक्ष द्वारा उपरोक्त गवाहन से किये गये प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई तात्विक विरोधाभास प्रकट नहीं हुआ है, जिससे उपरोक्त साक्षीगण की साक्ष्य पर अविश्वास किया जा सके।

18. इस संबंध में आक्षेपित निर्णय के अवलोकन से विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्व यह प्रमाणित माना है कि जप्तशुदा टैम्पों बिना नम्बरी में गाय की दो बछिया को वध के प्रयोजनार्थ बिना वैध अनुज्ञा/परमिट के गौकशी हेतु ले जाया जा रहा था। उक्त विश्लेषण को अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत नहीं कहा जा सकता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य के विश्लेषण से अभियुक्त/अपीलार्थीगण को धारा 5/8 एवं धारा 6 आर बी एक्ट के अपराध में की गई दोषसिद्धी विधि अनुरूप है, जिसमें कोई विधिक या तथ्यात्मक त्रुटि होना नहीं पाई जाती है। उक्त दोषसिद्धी के निर्णय में हस्तक्षेप करने की कोई गुंजाइश प्रतीत नहीं होती है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध की गई दोषसिद्धी अंतर्गत धारा 5/8 एवं 6 आर बी एक्ट यथावत रखी जाती है।

दण्ड के बिन्दु पर सुनवाईः–

19. दण्ड के बिन्दु पर पक्षकारान को सुना गया एवं पत्रावली का पुनः अवलोकन किया गया।

20. अधिवक्ता अभियुक्त/अपीलार्थीगण का तर्क है कि वो सन् 2011 से इस प्रकरण में अन्वीक्षा भुगत रहे हैं। उनकी कोई पूर्व दोषसिद्वी नहीं है, नितांत गरीब व्यक्ति है। अभियुक्तगण अभिरक्षा में भी रह चुके हैं। प्रकरण की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्तगण को दी गयी सजा के प्रति नरम रूख अपनाते हुए, उन्हें सशर्त परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है, इसलिए यह अपील सशर्त

आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया आक्षेपित दण्डादेश अत्यधिक है। अभियुक्तगण भविष्य में कोई आपराधिक कृत्य नहीं करेंगे। इसलिए दण्ड के बिंदु पर नरमी का रूख अपनाया कर, उन्हें परीविक्षा अधिनियम का लाभ दिये जाने का निवेदन किया। जबकि अपर लोक अभियोजक ने आक्षेपित दण्डादेश विधि अनुरूप दिये जाने का निवेदन किया।

21. सजा के बिंदु पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अभियुक्तगण सन् 2011 से अन्वीक्षा भुगत रहे हैं। यह सही है कि उनकी कोई पूर्व दोषसिद्वी के तथ्य पत्रावली पर नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं विशेष परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण को दी गयी सजा के प्रति नरम रूख अपनाते हुए, उन्हें सशर्त परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है, इसलिए यह अपील सशर्त आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

– आदेश –

22. अतः अपीलार्थी/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत यह अपील दोषसिद्धि की हद तक अस्वीकार कर खारिज की जाती है, तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित दोषसिद्धि का निर्णय दिनांक 07.09.2020 की पुष्टि की जाकर, अभियुक्त विजेन्द्र के विरूद्घ धारा 5/8 एवं अभियुक्त शिवराज के विरूद्व धारा 6/8 राजस्थान गोवंशीय पशु वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन अधिनियम के तहत की गई दोषसिद्धि को यथावत रखा जाता है।

23. अपीलार्थी/अभियुक्तगण की अपील दण्डादेश की हद तक आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर, विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित दण्डादेश को अपास्त किया जाता है तथा अभियुक्त विजेन्द्र के विरूद्घ धारा 5/8 एवं अभियुक्त शिवराज के विरूद्व धारा 6/8 राजस्थान गोवंशीय पशु वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन अधिनियम के तहत की गई दोषसिद्धि के लिये धारा 04 परिवीक्षा अधिनियम का लाभ सशर्त दिया जाकर, आदेश दिया जाता है कि प्रत्येक अभियुक्त नेक चलनी बाबत छह माह की अवधि के लिए

बीस–बीस हजार रुपये के निजी बन्ध पत्र एवं इसी राशि की प्रतिभूति पत्र अधीनस्थ एवं अपीलीय न्यायालय के समक्ष इन शर्तो के साथ पेश कर तस्दीक करवाये कि वे उक्त कालावधि में ऐसे अपराधों की पुनरावृत्ति नहीं करेगें, समाज में सदाचार एवं लोक परिशान्ति कायम रखेगें तथा न्यायालय द्वारा तलब करने पर अपनी सजा भुगतने हेतु उपस्थित रहेगें। साथ ही प्रत्येक अभियुक्त धारा 05 परिवीक्षा अधिनियम के तहत पांच–पांच हजार रूपये कुल दस हजार रूपये बतौर अभियोजन व्यय राशि अधिरोपित की जाती है।

24. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली इस निर्णय की प्रति के साथ अविलम्ब लौटाई जावे।

(धीरज शर्मा)

25. निर्णय/आदेश आज दिनांक 09–06–2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धीरज शर्मा)